राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.20(6) (402)निमअ/अंकेक्षण/आडिट बैठक/2018–19/ 1772 जयपुर, दिनांक 16/1/19

कार्यालय आदेश

विषय :– महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु केम्प आयोजित करने बाबत।

राज्य स्तरीय आडिट कमेटी की बैठक का आयोजन शासन सचिव महोदया की अध्यक्षता में अतिशीघ्र होना सम्भावित है। जिसका एजेण्डा निम्न प्रकार हैः–

1. महालेखाकार की प्रथम अनुपालनाओं की बकाया स्थिति।
2. महालेखाकार के बकाया आक्षेपों की स्थिति।
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया प्रारूप प्रालेख की स्थिति।
4. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की स्थिति।
5. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अनुसार बकाया स्थाई अग्रिम की स्थिति।

आडिट समिति की बैठक मे प्रधान महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से संबंधित आक्षेपों की अनुपालना की समीक्षा की जानी है। आक्षेपों की ठोस अनुपालना तैयार की जाकर उन्हें निरस्त कराये जाने के क्रम में निदेशालय में केम्प का आयोजन किया जा रहा है।

आपको निर्देश प्रदान किये जाते है कि निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार आपके कार्यालय के समस्त बकाया आक्षेपों की ठोस एवं नवीनतम अनुपालना मय पूर्ण दस्तावेजों के (दो प्रतिलिपि सहित) संबंधित कार्मिक के साथ निदेशालय में प्रेषित करे। उपस्थित न होने को गम्भीरता से लिया जावेगा। **पी.डी. खाते के विभिन्न योजनाओं में शेष की सूचना भी लावें। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के संभागीय कार्यालय में आपके कार्यालय में बकाया अस्थाई अग्रिम शेष/आक्षेपों की अध्यतन स्थिति मय सत्यापन के आधार पर बकाया आक्षेपो का मिलान कर प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करें।**

समस्त कार्यालय निम्नांकित दिनांक को निदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें :–

क्र.स.	दिनांक	नाम जिला
1	23.01.2019	दौसा, बांरा, टोंक, अलवर,
2	25.01.2019	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ,चूरू
3	28.01.2019	उदयपुर,राजसंमद,चित्तौडगढ, डूगरपुर, प्रतापगढ,
4	29.01.2019	जैसलमेर, बाडमेर, पाली,बांसवाडा,
5	30.01.2019	जोधपुर, सिरोही, जालौर, सीकर
6	31.01.2019	कोटा, बून्दी,झालावाड,झुन्झुनु
7	01.02.2019	अजमेर, भीलवाडा, नागौर,जयपुर
8	04.02.2019	भरतपुर, धौलपुर,करौली, सवाई माधोपुर

(प्रकाश चंद पवन)
निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग

क्रमांकः– प.20(6) (402)निमअ/अंकेक्षण/आडिट बैठक/2018–19/ 1773—1807 जयपुर, दिनांक 16/1/19
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (SHG) एवं कार्यालयाध्यक्ष महिला अधिकारिता को प्रेषित कर अनुरोध है कि दिनांक 04.02.2019 तक मुख्यालय के समस्त बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
2. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता समस्त..
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

(नीति धीमन)
वित्तीय सलाहकार